

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0-1/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूतियों)03-61-03/2015(खण्ड)- 143

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0),
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
बक्सर/औरंगाबाद/नवादा।

पटना-15, दिनांक- 29-03-17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों तथा अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद में कुल ₹29.15 लाख (उनतीस लाख पन्द्रह हजार रू0) मात्र का पुर्नावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष-2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री एवं पूतियों मद में पत्रांक-59 दिनांक-24.11.2016 द्वारा ₹1200.00 लाख (बारह करोड़ रू0) एवं पत्रांक-104 दिनांक-28.02.2017 द्वारा ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रू0) अर्थात् कुल ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रू0) मात्र का आवंटित की गई है। आवंटित राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा, अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा।

2- उपरोक्त आवंटित राशि में से जिला कल्याण पदाधिकारी, (हाजीपुर) वैशाली के पत्रांक 458 दिनांक 11.03.2017 एवं पत्रांक 458 दिनांक 11.03.2017 द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद(विषय शीघ्र-P-225012770101) में कुल ₹1877500/- (अठारह लाख सत्तहतर हजार पाँच सौ) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-506 दिनांक-24.03.2017 द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद(विषय शीघ्र-P-225012770101) में कुल ₹1374757/- (तेरह लाख चौहत्तर हजार सात सौ सन्तावन रू0) अर्थात् कुल ₹3252257/- (बतीस लाख बावन हजार दो सौ सन्तावन रू0) मात्र का प्रत्यापण प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

3- उपरोक्त प्रत्यापित राशि में से ₹29.15 लाख (उनतीस लाख पन्द्रह हजार रू0) मात्र का संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियों मद(विषय शीघ्र-P-225012770101) में जिलों के माँग के आलोक में निम्न प्रकार पुर्नावंटित किया जाता है:-

क्रमांक	जिला का नाम	अतिरिक्त राशि के लिए माँग पत्र	सामग्री व पूतियों मद(विषय शीघ्र-P-225012770101) में (पुर्नावंटन)
1	2	3	4
1	जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	पत्रांक-15-192/क0 दिनांक-28.02.17	₹5,00,000/-
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद	पत्रांक-409/क0 दिनांक-28.03.17	₹21,00,000/-
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा	पत्रांक-324/क0 दिनांक-22.03.17	₹3,15,000/-
	कुल योग:-		₹29,15,000/-

(उनतीस लाख पन्द्रह हजार रू0)

4- आवंटित राशि का व्यय राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-2101-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-P2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

5- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृति के आलोक में सामग्री व पूर्तियों मद की गत वर्ष के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक-1/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)03-61-03/2015(खण्ड)- 143 पटना, दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी बक्सर/औरंगाबाद/नवादा/वैशाली/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक